राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / 09 / दिनांक :

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन–जयपुर / जोधपुर / बीकानेर।
उदयपुर / कोटा / अजमेर / भरतपुर।

विषय :– लम्बित पेंशन प्रकरणों की स्थिति के क्रम में सूचना भिजवाने बाबत।
सन्दर्भ :– इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक सामान्य / राजपित्रत / 09 / 300 दिनांक 03.08.09 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आपके संभाग से संबंधित पेंशन प्रकरणों की स्थिति की सूचना पूर्व में जारी सन्दर्भित पत्र के प्रफोर्मा अनुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख को माहवार इस कार्यालय को प्रेषित करें। पेंशन प्रकरणों की स्थिति में जिन अधिकारियों को प्रोवीजनल पेंशन जारी हो चुकी है, उन्हें अलग से नोट लगाकर दर्शाये तथा बकाया प्रकरणों मे शामिल नहीं करते हुए सूचना प्रेषित करें तथा जो प्रकरण निदेशालय के स्तर से लम्बित हैं उनका कारण सहित विवरण उल्लेख करें एवं जिन अधिकारियों की जांच आपराधिक प्रकरण, गबन प्रकरण, भ्रूण हत्या प्रकरण, विभागीय जांच एवं भ्रष्टाचार प्रकरण के अधीन चल रही हैं, उन अधिकारियों को भी प्रोवीजनल पेंशन जारी करवाने की कार्यवाही करते हुए अलग से विशेष विवरण में उल्लेख करें। इन प्रकरणों को संबंधित पेंशन प्रकरणों में शामिल नहीं करते हुए सूचना आवश्यक रूप से प्रत्येक माह की माहवार प्रेषित करें।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / 09 / 940 दिनांक : 30/10/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. राजपत्रित संस्थापन अनुभाग–(मुख्यालय सीट एवं उच्च पदस्थ अधिकारी) मुख्यालय।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।